बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सं0–भवन / 10 / (लखीसराय)–05 / 2013 5471 (भ) पटना, दिनांक– 10.6.16

:: अधिसूचना ::

लखीसराय जिलाअन्तर्गत जिला कृषि कार्यालय, भवन निर्माण कार्य एवं संयुक्त भवन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग किये जाने से संबंधित श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त परिवाद पत्र की जाँच निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा की गयी। निगरानी विभाग के पत्रांक–4269 दिनांक– 18.07.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में जिला कृषि कार्यालय के भवन निर्माण में कंक्रीट कार्य में कम सिमेंट का प्रयोग किये जाने के लिए श्री ब्रजेश कुमार तत्कालीन सहायक अभियंता भवन प्रमंडल लखीसराय को दोषी प्रतिवेदित किया गया। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक–2816 दिनांक–07.03.2013 द्वारा श्री ब्रजेश कुमार, त्देन सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार का स्पष्टीकरण विभाग को प्राप्त हुआ।

2. पुनः विभाग द्वारा लखीसराय जिलान्तर्गत जिला कृषि कार्यालय भवन में घटिया सामग्री उपयोग किये जाने के फलस्वरूप क्षति का आकलन अभियंता प्रमुख / उड़नदस्ता दल द्वारा कराया गया। अभियंता प्रमुख द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निर्माण कार्य में सीमेंट एवं बालू का अनुपात 1:7.41 है जबकि प्राक्कलन एवं मापी पुस्त में सीमेंट एवं बालू का अनुपात 1:6 अंकित है। इस संबंध में मुख्य अभियंता (दक्षिण) के सचिव प्रौवधिक–सह–सदस्य उड़नदस्ता दल के पत्रांक–975 दिनांक–11.06.2015 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि जिला कृषि कार्यालय भवन में सीमेंट बालू एवं चिप्स का अनुपात विशिष्टियों के अनुरूप नहीं होने के कारण सरकार को कुल ₹71,267 (एकहत्तर हजार दो सौ सड़सठ) रूपये मात्र की क्षति पहुँची है। स्पष्ट है कि जिला कृषि कार्यालय भवन निर्माण का कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं हुआ है।

3. उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर समीक्षोपरांत श्री ब्रजेश कुमार, सहायक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीरण को स्वीकार योग्न नहीं मानते हुए उनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया।

4. तद्आलोक में श्री ब्रजेश कुमार तदेन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल लखीसराय सम्प्रति सहायक अभियंता अवर प्रमण्डल संख्या–1, भवन प्रमण्डल लखीसराय को उक्त प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण–नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (i) के अंतर्गत निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) **निंदन वर्ष–2011–2012**

5. जिला कृषि कार्यालय भवन में विशिष्टियों के अनुरूप सामग्रियों का उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹71,267 (एकहत्तर हजार दो सौ सड़सठ) रूपये उड़नदस्ता दल द्वारा प्रतिवेदित क्षति की वसूलि सभी जिम्मेवार दोषी अभियंताओं से समानुपातिक रूप से किये जाने के तहत श्री ब्रजेश कुमार, त्देन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल लखीसराय से 23,756 (तेईस हजार सात सौ छप्पन) रूपये की एक मुश्त वसूली की जायेगी।

बिहार राजयपाल के आदेश से

8.6.16

(उमेश कुमार)

— सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ0पृ0उ0

D/Adhisuchna/Adesh/Sanjay Singh.

ज्ञापांक– 5472(स्था) पटना, दिनांक– 10.6.16

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 8.6.16

– सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5472(स्था) पटना, दिनांक– 10.6.16

प्रतिलिपिः– उप सचिव, ई0 गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ/आई0टी0 मैनेजर भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेव साइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 8.6.16

– सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5472(स्था) पटना, दिनांक– 10.6.16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल भागलपुर एवं मुगेर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल लखीसराय, भवन निर्माण विभाग/सभी उप सचिव/अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 8.6.16

– सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5472(स्था) पटना, दिनांक– 10.6.16

निबंधित

प्रतिलिपिः– श्री ब्रजेश कुमार, सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल सख्या–1, भवन प्रमंडल लखीसराय, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 8.6.16

– सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5472(स्था) पटना, दिनांक– 10.6.16

निबंधित

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग के पत्रांक–4269 दिनांक–18.07.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 8.6.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

8/6/16

D/Adhisuchna/Adesh/Sanjay Singh.